मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन भोपाल–462004

क्रमांक एफ–7/22/93/10/3 भोपाल, दिनांक 15–1–999

–: आदेश :–

नई निस्तार नीति के अनुसार वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को निस्तार के अन्तर्गत कोई रियायत नहीं दी जा सकती है, किन्तु उपलब्धता के आधार पर पूर्ण बाजार मूल्य पर इन ग्रामों के ग्रामीणों को पंचायतों के माध्यम से वनोपज उपलब्ध कराने का निर्णय लेते हुये व्यवस्था निर्धारण हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :–

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के लिये वनोपज विक्रय हेतु फुटकर विकेता नियुक्त कर सकती है। यह विकेता वनोपज के व्यापार हेतु पूंजी स्वंय लगायेंगें। यदि ग्राम पंचायतें उक्त कार्य स्वयं करना चाहती है तो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।
2. फुटकर विक्रेता नियुक्त करने की सूचना ग्राम पंचायतें जिलाध्यक्ष, वनमंडलाधिकारी एवं परिक्षेत्र अधिकारी को देगी।
3. पंचायत द्वारा मॉग पत्र प्रस्तुत किये जाने पर फुटकर विकेता द्वारा मूल्य का भुगतान कर दिये जाने पर उसे आवश्यक वनोपज शासकीय डिपो से उपलब्ध कराई जायेगी। जिसका परिवहन फुटकर विकेता की सुविधा अनुसार बैलगाड़ी, ट्रेक्टर ट्राली या ट्रक द्वारा किया जा सकेगा। पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त वनोपज का कोई दुरूपयोग न हो एवं इस वनोपज की आड़ में वनों से अवैध रूप से प्राप्त वनोपज का विक्रय नहीं हो पाये।
4. पहली खेप में ले जायी गयी वनोपज का 90 प्रतिशत भाग बिक जाने पर पंचायत की अनुशंसा पर दूसरी खेप दी जा सकेगी।
5. प्रदाय दर का निर्धारण वन मंडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिस पर 10 प्रतिशत वृद्धि कर उपभोक्ताओं को वनोपज बेची जायेगी। इस 10 प्रतिशत राशि में से 8 प्रतिशत फुटकर विकेता का कमीशन एवं 2 प्रतिशत पंचायत विकास कार्य हेतु प्राप्त करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(अनुराग श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्र.एफ–7/22/93/10/3 भोपाल, दिनांक 15–1–99

प्रतिलिपि :–

1/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0 भोपाल

2/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) भोपाल

3/ सचिव, म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल

4/ समस्त वन संरक्षक क्षेत्रीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

5/ समस्त वनमंडलाधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता.

उप सचिव